राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2032 / 2023

रवि मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, डॉ.एस. राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
3. डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2023
आदेश की दिनांक : 21.12.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री तरूण जैमन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 21.04.2023 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है। उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 21.04.2023 में यह अंकित किया गया हैं कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजिबद्ध अपराध संख्या 346 / 2021 अन्तर्गत धारा–7, 7ए भ्रष्टचार निवारण (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2018 एवं 120बी. भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 01.02.2023 को गिरफ्तार किया गया। श्री मीणा 48 घंटे से अधिक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रहें। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2023 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been Suspended) के आदेश प्रदान किये गये थे।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। अपीलार्थी के विरूद्ध सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है। अपीलार्थी को लम्बे समय से निलम्बित रखा गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच भी लम्बित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई ट्रेप

कार्यवाही नहीं हुई है। अपीलार्थी को बाद में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के इसी प्रकरण में सह अभियुक्त राहुल कुमार गर्ग को भी निलम्बित किया गया था, जिसके निलम्बन आदेश के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी की ओर से राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(5) के तहत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–5) पारित किया है और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का अभ्यावेदन गलत आधारों पर अस्वीकार किया है।

3. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 एवं ए–2 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> ''ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।
>
> लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।
>
> ए–2 भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की

अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।''

4. उक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा के ऐसे प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की स्थिति में उक्त प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु प्रकरण पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो चुका है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के परिप्रेक्ष्य में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
5. उक्त कार्यवाही के लिए 2 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)